भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 500*

27 मार्च, **2026** को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष पद्धति से संबंधित परिवर्तन

*500. श्री अरुप चक्रवर्ती:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुव्यवस्थित नैदानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रलेखन के माध्यम से आयुष पद्धतियों के अनुभव-आधारित पद्धति से साक्ष्य-आधारित सत्यापन में परिवर्तन के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा समस्त आयुष विधाओं में अलग-अलग पारंपरिक पद्धतियों के स्थान पर मानकीकृत और सुव्यवस्थित उपचार प्रोटोकॉल अपनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

(ग) क्या समन्वित और रोगी केन्द्रित परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए आयुष पद्धतियों को मुख्य स्वास्थ्य परिचर्या के साथ एकीकृत करने के लिए कोई ढांचा विकसित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में साक्ष्य सृजन और एकीकृत स्वास्थ्य परिचर्या परिदान को बढ़ावा देने के लिए किए गए अनुसंधान संबंधी सहयोगों, धनराशि के आवंटन, विनियामक सुधारों और स्थापित संस्थागत तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 27 मार्च, 2026 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 500* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): आयुष मंत्रालय ने वैज्ञानिक साक्ष्य सृजित करने, नीति निर्माण में सहयोग करने और व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आयुष के एकीकरण करने के लिए अपने समर्पित शीर्ष केंद्रीय अनुसंधान परिषदों, राष्ट्रीय संस्थानों, नियामक आयोगों, योजनाओं और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा पाद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान, डेटा सृजन तथा नैदानिक परिणामों के प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. समर्पित अनुसंधान परिषदों की स्थापना

आयुष मंत्रालय (एमओए) के तत्वाधान में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) नामक पांच स्वायत्त केंद्रीय अनुसंधान परिषदें हैं जो मौलिक तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान, नैदानिक परीक्षण, औषधि अनुसंधान, आयुष फॉर्मूलेशन का मानकीकरण, सहयोगात्मक अनुसंधान, नैदानिक साक्ष्य (नैदानिक अनुसंधान) का प्रलेखन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुसंधान का प्रकाशन, पारंपरिक ज्ञान और जन-स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान का प्रलेखन आदि करती हैं। वर्तमान में, इन अनुसंधान परिषदों के तहत देश भर में 89 अनुसंधान संस्थान और इकाइयां काम कर रही हैं।

ii. आयुष अनुसंधान डेटाबेस

मंत्रालय ने एक समर्पित आयुष अनुसंधान पोर्टल विकसित किया है जो इन परिषदों और अन्य संस्थानों द्वारा सृजित अनुसंधान परिणामों को संकलित करता है। यह, वर्तमान में प्रकाशित लगभग 43,000 शोध लेखों के आयुष अनुसंधान का एक केंद्रीकृत भंडार है। ये शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों के लिए सुलभ हैं और साक्ष्यों के प्रचार-प्रसार और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं।

iii. आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (ए-एचएमआईएस)

ए-एचएमआईएस एक डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म है जिसे आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों के डेटा एकत्र करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अस्पताल के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की सुविधा प्रदान करता है, वास्तविक समय के नैदानिक डेटा को एकत्र करता है, रोगियों के परिणामों के आधार पर साक्ष्य सृजित करता है।

iv. नमस्ते पोर्टल

रोगों की रिपोर्टिंग को मानकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय आयुष रुग्णता और मानकीकृत शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल (नमस्ते) विकसित किया गया है। यह मानकीकृत आयुष चिकित्सा शब्दावली, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण (आईसीडी-10 और आईसीडी-11) के अनुरूप है और इस प्रकार यह वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों तथा अनुसंधान के साथ आयुष डेटा की तुलनात्मक जानकारी को बढ़ाती है।

v. पद्धति-वार साक्ष्य आधारित अनुसंधान

सभी नैदानिक परीक्षण, भारतीय नैदानिक परीक्षण पंजिका (सीटीआरआई) के साथ पंजीकृत हैं, जिसे आईसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) द्वारा संचालित किया जाता है। इससे पारदर्शिता, नैतिक अनुपालन और उचित रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है। परिषद, मानकीकृत परिणामी मूल्यांकन टूल्स का भी उपयोग करती है और सहकर्मी-समीक्षित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में शोध निष्कर्षों के प्रकाशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। आयुष पद्धतियों के साक्ष्य आधार को व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए, प्रत्येक परिषद कई क्षेत्रों में अनुसंधान करती है।

(ख): आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत स्थापित किया गया आयुष वर्टिकल, आयुष-विशिष्ट जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों की आयोजना, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह नैदानिक एकीकरण में भी मदद देता है और इसने 2024 और 2025 के दौरान, छह सामान्य मस्कुलोस्केलेटल विकारों और पांच सामान्य चयापचय विकारों के लिए संबंधित अनुसंधान परिषदों के समन्वय से आयुष पद्धतियों के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश (एसटीजी) विकसित किए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आगे प्रचार-प्रसार के लिए, एसटीजी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अक्टूबर 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (सीएचईबी) के सहयोग से मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

(ग): आयुष पद्धतियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल सेवा के साथ एकीकृत करने की पहलें निम्नप्रकार हैं:

i. आयुष को मुख्यधारा में लाना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) के तहत मुख्य रणनीतियों में से एक है, ताकि आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराई जा सके। देश में चिकित्सा एवं कल्याण की पारंपरिक पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना की एक एकीकृत रणनीति अपनाई है, ताकि रोगी एक ही स्थान पर चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के विकल्प चुन सकें।
ii. आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय ने सीसीआरएएस के माध्यम से संयुक्त रूप से, चयनित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) यानी एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर और एम्स ऋषिकेश में आयुष-आईसीएमआर उन्नत एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र (एआई-एसीआईएचआर) स्थापित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। इन केंद्रों की स्थापना प्राथमिकता वाले रोग क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले साक्ष्य विकसित करने तथा एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल के लिए ठोस मॉडल सृजित करने के लिए की गई है।
iii. डीजीएचएस के तहत आयुष वर्टिकल ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के साथ सहयोग से तंबाकू निरोधक केंद्र (टीसीसी) स्थापित करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश विकसित किए हैं, जिन्हें 9 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था। इन आयुष-आधारित दिशानिर्देशों को सभी आयुष मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में कार्यान्वित करना है ताकि तंबाकू की रोकथाम के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले। आयुष टीसीसी के तहत प्रस्तावित सेवाओं में, रोकथाम में सहायता के लिए व्यवहारिक उपचार, योग, ध्यान और पुन:रोगग्रस्त होने की रोकथाम के लिए विश्राम उपचार और निरंतर स्वास्थ्य-लाभ को बढ़ावा देने के लिए हर्बल उपचार शामिल हैं।
iv. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के केंद्र सरकार के अस्पतालों में एकीकृत विभागों का संचालन और निगरानी। ये विभाग पंचकर्म उपचार सहित निवारक और चिकित्सीय उपचार सेवाएं प्रदान करते हैं।
v. आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित आयुर्ज्ञान नामक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के एबीआईएचआर (आयुर्वेद जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान) घटक के अंतर्गत, एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यकलाप चलाने के लिए पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक में आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुष का एकीकरण शामिल है।

(घ): साक्ष्य सृजन और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अनुसंधान सहयोग, वित्त पोषण आवंटन, नियामक सुधार और संस्थागत तंत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

i. डीजीएचएस के तहत आयुष वर्टिकल, जन-स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल, आयुष शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए रणनीति विकसित करने में दोनों मंत्रालयों (एमओए और एमओएच एंड एफडब्ल्यू) को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

ii. आयुष मंत्रालय के तहत विनियामक निकायों नामत: राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने सुधारों की शुरुआत की है जैसे कि प्रारंभिक नैदानिक अनुभव, ऐच्छिक, फाउंडेशन और फिनिशिंग कार्यक्रम चलाना, तथा अंतर-विषयक समझ बढाने के लिए फार्माकोलॉजी, मनोविज्ञान और योग जैसे विषयों को शामिल करना, शिक्षा का मानकीकरण, नैदानिक क्षमता वर्धन, साक्ष्य-आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना, और स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या को निर्धारित करने वाले विनियमों के माध्यम से आधुनिक अंतर-विषय दृष्टिकोणों को शामिल करना।

iii. सहयोग के एक हिस्से के रूप में, विभिन्न आयुष पद्धतियों की शीर्ष अनुसंधान परिषदें, प्रतिष्ठित विभिन्न आधुनिक अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य कर रही हैं। पद्धति-वार ब्यौरा संलग्नक-I में है।

iv. आयुर्ज्ञान योजना के एबीआईएचआर घटक के तहत, 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और औषधि विकास तथा साक्ष्य सृजन हेतु अनुसंधान गतिविधियां चलाने के लिए एजेंसियों/संस्थानों को 5046.56 लाख रुपये की निधि जारी की गई है तथा आयुर्स्वास्थ्य योजना के उत्कृष्टता केंद्र घटक के तहत, कुल 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और साक्ष्य सृजन तथा एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल वितरण को बढ़ावा देने के लिए 114.15 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है। परियोजनाओं के साथ-साथ, उनके वित्त पोषण पैटर्न की सूची संलग्नक-II में दी गई है।

क) **आयुर्वेद**

आयुर्वेद के क्षेत्र में, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) ने आयुर्वेद में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के लिए 20 विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एआईआईए में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट अनुसंधान सहित बहुआयामी अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं। एआईआईए में संचालित/चल रही विभिन्न घरेलू अनुसंधान गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है।

कुल अध्ययन: 85

अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन: 03

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: 01

अंत: वर्ती अनुसंधान: 29

बाह्य वर्ती अनुसंधान: 16

आईआईटी-दिल्ली: 07

जन स्वास्थ्य संस्थान: 07

उद्योग प्रायोजित: 02

अकादमिक पीठ की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सीसीआरएएस ने विभिन्न देशों/विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/संगठनों के साथ 20 समझौता ज्ञापन/आशय पत्र (एलओआई)/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में विभिन्न देशों में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में 4 समझौता ज्ञापन सक्रिय हैं।

ख) सिद्ध

सिद्ध चिकित्सा के क्षेत्र में, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद ने 115 आंतरिक अनुसंधान (आईएमआर) परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 31 आईएमआर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**आईएमआर परियोजनाओं की श्रेणी**	**पूर्ण हो चुकी आईएमआर परियोजनाओं की संख्या**	**चल रही आईएमआर परियोजनाओं की संख्या**
1	नैदानिक अनुसंधान	7	18
2	पूर्व-नैदानिक अनुसंधान	9	14
3	दवा मानकीकरण	6	13
4	औषधीय पौधे	3	7
5	साहित्यिक अनुसंधान	6	19
	कुल	**31**	**71**

सीसीआरएस ने सहकर्मी-समीक्षित और अनुक्रमित जर्नलों में 949 शोध लेख प्रकाशित किए हैं। इसे "सिद्ध चिकित्सा में प्रयुक्त पूनेरू की तैयारी की प्रक्रिया और उससे संबंधित" शीर्षक से एक पेटेंट प्राप्त हुआ है (पेटेंट संख्या: 543375)। सीसीआरएस ने भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) के साथ मिलकर 7 सिद्ध फार्माकोपिया और फार्मुलरी ग्रंथ प्रकाशित किए हैं और हाल ही में 'द सिद्ध फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, भाग III (तमिल संस्करण)' और 'सिद्ध फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया (एसएफआई), भाग- I (संशोधित तमिल संस्करण)' प्रकाशित किए हैं। सीसीआरएस ने बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) के साथ मिलकर सिद्ध चिकित्सा पद्धति से संबंधित मानकों का विकास किया है और 14 मानक प्रकाशित किए जा चुके हैं।

ग) यूनानी

यूनानी क्षेत्र में, सीसीआरएम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सहकर्मी-समीक्षित/अनुक्रमित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 484 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। परिषद ने डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, डॉ. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली और जे.जे. अस्पताल, मुंबई में चार पुनर्वास केंद्र स्थापित किए हैं।

घ) होम्योपैथी

होम्योपैथी के क्षेत्र में, सीसीआरएच ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के जन स्वास्थ्य कार्यक्रम को अपनाकर होम्योपैथी को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था से जोड़ने की पहल की है। होम्योपैथी के लिए यह कार्यक्रम, सितंबर 2015 से सामान्य जिलों में कार्यान्वित किया गया था: कृष्णा जिला (आंध्र प्रदेश) - 9 केंद्र और दार्जिलिंग जिला (पश्चिम बंगाल) - प्रारंभिक चरण में 6 केंद्र तथा अप्रैल 2021 तक जनजातीय जिलों में विस्तारित किया गया: संबलपुर जिला (ओडिशा) - 3 केंद्र और नासिक जिला (महाराष्ट्र) - 2 केंद्र। एक अन्य जन स्वास्थ्य कार्यक्रम नामत: स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम (एसआरपी) है, जिसे परिषद के अंतर्गत आने वाले 55 गांवों को गोद लेने वाले 11 संस्थानों के माध्यम से स्थानीय आबादी के घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए चलाया गया।

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान ने अनुसंधान सहयोग के लिए राष्ट्रीय औषधविज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) कोलकाता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर, सीसीआरएच, नई दिल्ली और एम्प्लॉईज़ स्टेट इंश्योरेंस (ईएसआई) हॉस्पिटल, रांची के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ङ) योग और प्राकृतिक चिकित्सा

योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, सीसीआरवाईएन, चिकित्सा कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के माध्यम से तथा योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से साक्ष्य सृजन को बढ़ावा देता है।

परिषद को अनुसंधान अवसंरचना, छात्रवृत्तियों और परियोजना अनुदानों के लिए सरकार से सहायता प्राप्त होती है, और यह संस्थागत नैतिकता समितियों और वैज्ञानिक सलाहकार समीक्षा प्रक्रियाओं सहित स्थापित अनुसंधान शासन तंत्रों का पालन करती है।

वित्तपोषण का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**नैदानिक अनुसंधान सहयोग (सीआरसी) और योग के माध्यम से मन-शरीर उपचार के लिए सहयोगी केंद्र (सीसीएमबीआईवाई) योजनाओं के अंतर्गत अनुसंधान सहयोग संस्थान**	**कुल बजट आवंटन**
1	संस्कृति फाउंडेशन, मैसूर, कर्नाटक	इस योजना के तहत 1.3 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
2	एम्स दिल्ली	इस योजना के तहत 2.5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं।
3	एम्स भोपाल	
4	एम्स जोधपुर	
5	एम्स रायपुर, छत्तीसगढ़	
6	एम्स, एनसीआई, झज्जर, हरियाणा	

7	एम्स ऋषिकेश, उत्तराखंड	
8	स्नातकोत्तर संस्थान चंडीगढ़	
9	एस-व्यासा, बेंगलुरु	
10	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस)	
11	एम्स बिबिनगर, तेलंगाना	

संलग्नक-II

परियोजना का शीर्षक (आयुर्ग्य योजना के अंतर्गत)

1 आयुर्वेद में प्रयुक्त चयनित एकल वनस्पति पदार्थों पर आधारित औषधि मास्टर फाइल और तकनीकी डोजियर का विकास।

2 ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेकम के तकनीकी डोजियर का विकास - चरण I (पूर्व-नैदानिक अध्ययन - मौखिक विषाक्तता, जीन विषाक्तता, प्रभावकारिता, फार्माकोकाइनेटिक अध्ययन और कृन्तकों में सुरक्षा फार्माकोलॉजी)

3 जिंजिबर ऑफिसिनेल के तकनीकी डोजियर का विकास - चरण I (पूर्व-नैदानिक अध्ययन - मौखिक विषाक्तता, जीन विषाक्तता, प्रभावकारिता, फार्माकोकाइनेटिक अध्ययन और कृन्तकों में सुरक्षा फार्माकोलॉजी)

4 बैकोपा मोनिएरी के तकनीकी डोजियर का विकास - चरण I (पूर्व-नैदानिक अध्ययन - मौखिक विषाक्तता, जीन विषाक्तता, प्रभावकारिता, फार्माकोकाइनेटिक अध्ययन और कृन्तकों में सुरक्षा फार्माकोलॉजी)

5 रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों से संभावित समाधानों की जांच

6 चयनित आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन त्रिफला चूर्ण, लशुनादि वटी, और बृहत वात चिंतामणि रस का पूर्व-नैदानिक टॉक्सिकोलॉजिकल मूल्यांकन और सुरक्षा फार्माकोलॉजी

7 बोसवेलिया सेराटा के तकनीकी डोजियर का विकास - चरण I (पूर्व-नैदानिक अध्ययन - मौखिक विषाक्तता, जीन विषाक्तता, प्रभावकारिता, फार्माकोकाइनेटिक अध्ययन और कृन्तकों में सुरक्षा फार्माकोलॉजी)

8 चयनित आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन के 8 पूर्व-नैदानिक टॉक्सिकोलॉजिकल मूल्यांकन और सुरक्षा फार्माकोलॉजी - लक्षा गुग्गुलु, दादिमादि घृत और एकांगवीरा रस

9 विथानिया सोम्निफेरा के तकनीकी डोजियर का विकास - चरण I (पूर्व-नैदानिक अध्ययन - मौखिक विषाक्तता, जीन विषाक्तता, प्रभावकारिता, फार्माकोकाइनेटिक अध्ययन और कृन्तकों में सुरक्षा फार्माकोलॉजी)

10 रजः प्रवर्तिनी वटी, फला घृत और द्राक्षावलेह के 10 प्रीक्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिकल मूल्यांकन और सुरक्षा फार्माकोलॉजी

11. चयनित आयुर्वेदिक औषधियों और फॉर्मूलेशन का विष विज्ञान संबंधी मूल्यांकन, सुरक्षा आकलन और मेटाबोलॉमिक प्रोफाइलिंग।

बजटीय आवंटन और व्यय (आयुर्ज्ञान योजना)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**बजट व्यय (बीई)**	**संशोधित व्यय (आरई)**	**वास्तविक व्यय (एई) (12.02.2026 तक)**
1.	**2021-22**	0	8.45	4.49
2.	**2022-23**	15.50	10.85	9.38
3.	**2023-24**	9.00	15.00	14.99
4.	**2024-25**	49.50	27.00	25.70
5.	**2025-26**	50.00	37.81	37.61

परियोजना का नाम (आयुर्स्वास्थ्य योजना के तहत)

1. पंचकर्म एवं फार्मेसी उन्नयन में उत्कृष्टता केंद्र
2. मधुमेह (डायबिटीज मेलिटस) के लिए अनुसंधान एवं नैदानिक सेवाओं का उत्कृष्टता केंद्र
3. दीर्घकालिक रीढ़ संबंधी विकारों के रोगियों की देखभाल और आयुर्वेदिक प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र
4. योग और आयुर्वेद में उत्कृष्टता केंद्र
5. आयुर्वेद प्रकृति और जीनोमिक्स के व्यावहारिक विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र
6. रसौसाधियों के लिए उन्नत तकनीकी समाधान, स्टार्टअप सहायता और नेट ज़ीरो सतत समाधानों हेतु सतत आयुष में उत्कृष्टता केंद्र
7. स्वस्थ और रोगग्रस्त यकृत पर भारतीय खाद्य पदार्थों और आयुर्वेदिक औषधियों का प्रभाव
8. यूनानी चिकित्सा (फार्माकोग्नोसी/फार्माकोलॉजी) में उत्कृष्टता केंद्र
9. आयुर्वेद और प्रणाली चिकित्सा पर आधारित कार्यात्मक उत्कृष्टता केंद्र
10. वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुर्वेद में उत्कृष्टता केंद्र
11. इलाज बित तदबीर (रेजिमेंटल थेरेपी)
12. मधुमेह और चयापचय संबंधी विकारों में उत्कृष्टता केंद्र
13. आयुर्स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुष अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र
14. आयुर्स्वास्थ्य योजना (पूर्ववर्ती उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्कीम) के उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) घटक के अंतर्गत एसडीम कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथ एंड योगिक साइंस, उजिरे
15. स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (एसवीवाईएएसए) में योग में उत्कृष्टता केंद्र
16. कैंसर अनुसंधान आर्य वैद्य साला, कोट्टाक्कल में सीओई की स्थापना
17. आयुष उत्कृष्टता केंद्र, पूरक एवं एकीकृत स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य विज्ञान स्कूल, सावित्रीबाई फुले, पुणे
18. कैंसर उपचार हेतु आयुष चिकित्सा की खोज एवं विकास हेतु उत्कृष्टता केंद्र
19. एकीकृत सटीक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा हेतु आयुर्टेक में उत्कृष्टता केंद्र
20. आयुष औषधियों में प्रयुक्त चयनित पादप आधारित कच्ची सामग्री की प्रमुख पहचान विशेषताओं के डेटाबेस और प्रामाणिक तथा बाजार से प्राप्त नमूनों के डीएनए बैंक के विकास हेतु द्रव्यगुण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
21. सीईओ- रुमेटोलॉजी अनुसंधान अस्पताल
22. चिकित्सा-ऐतिहासिक अध्ययन एवं भारतीय चिकित्सा संपदा उत्कृष्टता केंद्र (सीओईएमएचएस एंड आईएमएच)
23. सीओई के तहत, शल्य तंत्र विभाग, चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अंतर्गत क्षारसूत्र चिकित्सा पर राष्ट्रीय संसाधन केंद्र /क्षारसूत्र चिकित्सा पर शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और रेफरल रोगियों की देखभाल के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की स्थापना।
24. आयुर्वेद में प्रयुक्त रसौषधियों के औषधीय विकास और मानकीकरण में उत्कृष्टता केंद्र
25. आयुर्वेद में मौलिक और ट्रांसलेशनल अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र
26. पतंजलि आयुर्वेद अस्पताल के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
27. चयापचय संबंधी विकारों के प्रबंधन में होम्योपैथिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र
28. दिव्यांगता निवारण हेतु होम्योपैथी उत्कृष्टता केंद्र

बजटीय आवंटन और व्यय (आयुर्स्वास्थ्य योजना)

वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रूपए में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रूपए में)	व्यय का %
2021-22	38.52	35.00	90.86%
2022-23	11.00	10.95	99.54%
2023-24	20.85	20.83	99.90%
2024-25	29.00	20.62	71.10%
2025-26	46.73	46.66	99.85%